प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई,2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश्वर पुत्र श्री ईलमचन्द, निवासी जनपद-सहारनपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-43383/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 11-11-2025, दिनांक 24.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी राजेश्वर पुत्र श्री ईलमचन्द, जो ग्राम-अम्बेहटा शेखा, थाना-देवबन्द, जनपद-सहारनपुर का निवासी है। पारुल का राहुल से प्रेम सम्बन्ध होने के कारण दिनांक 08.08.2017 को पारूल के पिता व दो भाईयों द्वारा मिलकर पारूल की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-25/2022, भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, देवबन्द, सहारनपुर के दण्डादेश दिनांक 27.01.2025 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.06.2025 तक अपरिहार 00 वर्ष, 09 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 00 वर्ष, 10 माह, 18 दिन की सजा भोगी गयी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज में व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, पुनः अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, जेल में निरूद्ध करने से समाज में अच्छा माहौल मिलेगा तथा समाज में कानून पर विश्वास होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर की आख्या से सहमत होते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बन्दी को मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 24.06.2025 तक अपरिहार 00 वर्ष, 09 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 00 वर्ष, 10 माह, 18 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने से समाज में प्रतिकूल सन्देश जाने तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश्वर (बन्दी संख्या-51611) पुत्र श्री ईलमचन्द, निवासी जनपद-सहारनपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-940/2026/2339(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।